प्रेस नोट दिनांक 27.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बकरा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किया गया 01 अदद बकरा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा बकरा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया 01 अदद बकरा एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई।

प्रतापगढ़-
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ पर वादी मो0 निवासी ग्राम सेमरा, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ की तहरीर के आधार पर दिनांक 25.11.2026 को तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उसका बकरा चोरी कर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 213/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 राकेश सिंह परिहार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा विवेचना एवं तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत रेहुआ लालगंज रोड से लखापुर गांव जाने वाले कच्चे रास्ते के मोड़ से 03 अभियुक्तों 1. विनय वर्मा पुत्र फूलचन्द्र वर्मा निवासी ग्राम पथरिया बोझी, 2. प्रकाश सरोज पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम चाहिन एवं 3. अनुज वर्मा पुत्र किशन वर्मा निवासी ग्राम पथरिया बोझी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया 01 अदद बकरा एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा एसपी 125 बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्होंने उक्त बकरे को ग्राम सेमरा के पास से चोरी किया था तथा चोरी करने के बाद उसे जंगल में बांध दिया था। आज उसे बेचने के उद्देश्य से लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। बरामद बकरे की वादी मुकदमा द्वारा पहचान की गई। मोटरसाइकिल के वैध कागजात प्रस्तुत न कर पाने के कारण उसे धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। बरामद बकरे को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत वादी मुकदमा की सुपुर्दगी में दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. विनय वर्मा पुत्र फूलचन्द्र वर्मा, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम पथरिया बोझी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

2. प्रकाश सरोज पुत्र राधेश्याम, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम चाहिन, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. अनुज वर्मा पुत्र किशन वर्मा, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम पथरिया बोझी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
* चोरी किया गया 01 अदद बकरा।
* घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा एसपी 125, रजिस्ट्रेशन नम्बर UP72 CE 7042 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राकेश सिंह परिहार, हे0का0 अनिल कुमार, का0 पंकज कुमार एवं का0 विक्की कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों, अंकित शुक्ला व अनुज दूबे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 अदद अवैध देशी जिन्दा बम बरामद किए गए।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सांगीपुर में 1-1 चोरी का अभियोग पंजीकृत है-

प्रतापगढ़-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, मंदिर सुरक्षा चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत बूढ़े बाबा मंदिर के पास से आगे ग्राम देउम पश्चिम स्थित बाग से 02 अभियुक्तों 1. अंकित शुक्ला पुत्र भारत प्रसाद शुक्ला एवं 2. अनुज दूबे पुत्र स्व0 अमरनाथ, निवासीगण ग्राम पटखौली, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद अवैध देशी जिन्दा बम बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे छोटी-मोटी चोरियां करते हैं तथा पकड़े जाने के भय से अपनी सुरक्षा एवं क्षेत्र में दबदबा बनाए रखने के उद्देश्य से बम अपने पास रखते हैं।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 277/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अंकित शुक्ला पुत्र भारत प्रसाद शुक्ला, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम पटखौली, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. अनुज दूबे पुत्र स्व0 अमरनाथ, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम पटखौली, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
01- अभियुक्त अंकित शुक्ला का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 21/2025 धा ीरा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 277/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

02- अभियुक्त अनुज दूबे का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 197/2018 धा ीरा 379, 41, 411 बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 277/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
04 अदद अवैध देशी जिन्दा बम।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आदित्य पाण्डेय, का0 नरेश कुमार, का0 दिनेश कुमार, का0 राहुल कुशवाहा एवं का0 आलोक कुमार, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता शालू तिवारी को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम पूरे बन्शू, हरनाहर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ की बहन द्वारा दिनांक 15.09.2026 को घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। उक्त घटना के संबंध में पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई थी। दिनांक 24.09.2026 को मृतका की किताबों से एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ, जिसमें विकास, शालू एवं ललित को

आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 369/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्तगण का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री राजीव कुमार यादव के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 ध्रुव सिंह मय उ0नि0 दीपिका सिंह मय चालक पीआरडी अशोक कुमार द्वारा शांति व्यवस्था भ्रमण क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 369/2026 धारा 108 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता शालू तिवारी पुत्री बालेन्द्र तिवारी नि0 ग्राम रामपुर कशिहा पो० राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
1. शालू तिवारी पुत्री बालेन्द्र तिवारी नि0 ग्राम रामपुर कशिहा पो० राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 ध्रुव सिंह मय उ0नि0 दीपिका सिंह मय चालक पीआरडी अशोक कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
थाना कन्धई पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1 किलो 292 ग्राम अवैध गांजा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कंधई श्री चन्द्रभूषण के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह हे0का0 अनुप मिश्रा, का0 राहुल पटेल, का0 शिवम मौर्या द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमसौना में इटवा की तरफ जाने वाले मार्ग पर नहर के किनारे से अभियुक्त राम अचल वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा निवासी ग्राम अमसौना, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 किलो 292 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना कंधई में मु0अ0सं0 268/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रामअचल वर्मा उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राम अचल वर्मा पुत्र जगन्नाथ वर्मा निवासी ग्राम अमसौना, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 किलो 292 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम पटेल मय हमराह हे0का0 अनुप मिश्रा, का0 राहुल पटेल, का0 शिवम मौर्या थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट (NBW) से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 27.11.2026 को उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार राम द्वारा मु0अ0सं0 137/2020 धारा 147/307/308/332/353/333/336/511/188/269/270 भादवि से संबंधित मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त प्रदीप उर्फ घुण्डी सरोज पुत्र भारत लाल सरोज निवासी ग्राम नया भवदासपुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को उसके घर से दिनांक 27.11.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. प्रदीप उर्फ घुण्डी सरोज पुत्र भारत लाल सरोज निवासी ग्राम नया भवदासपुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह हे0का0 विजय कुमार राम थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़